



458/1

दूरभाष- 2286709

2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 4219 / 05 / 76 / एक / 2016-17
सेवा में,

दिनांक : 02/12/16
नवम्बर-2016

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-बस्ती।

विषय : वित्तीय वर्ष 2016-17 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹ में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
एक्सिस बैंक	915010021963517	IFSC Code UTIB0000855	308.441

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम/द्वितीय किस्त की धनराशि का प्रेषण
1	बस्ती	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० बस्ती	वार्ड सं० 10, मो० चिकवाटोला मे वंशराज के मकान से मजार तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	1.788
2	बस्ती	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० बस्ती	वार्ड सं० 10, मो० चिकवाटोला मे मो० हनीफ के मकान से सी०सी० रोड तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	1.517
3	बस्ती	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० बस्ती	वार्ड सं० 10, मो० चिकवाटोला (खटिकटोला) मे इण्डियन कान्सेन्ट स्कूल से पुलिया तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	1.121
4	बस्ती	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० बस्ती	वार्ड सं० 15, गांवगोड़िया के मो० शिवाकालोनी मे मोदू के मकान से न० पा० सीमा तक व कृदाल के मकान से होते हुये उत्सव मैरेज वाटिका तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	5.436
5	बस्ती	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० बस्ती	वार्ड सं० 15, गांवगोड़िया के मो० शिवाकालोनी मे वाहिद सिद्दीकी के मकान से प्राक्सिस क्लासेज तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	1.739
6	बस्ती	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० बस्ती	वार्ड सं० 15, गांवगोड़िया के मे शेख अब्दुल मजीद के मकान से जीमल अहमद के मकान होते हुये फेजान अहमद के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	2.171
7	बस्ती	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० बस्ती	वार्ड सं० 15, गांवगोड़िया के मे मो० शाहिद के मकान से मो० अजीज के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	1.335
8	बस्ती	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० बस्ती	वार्ड नं० 11 में मो० रौतापार में मालवीय रोड पर मेन रोड से डा० कल्पना नर्सिंग होम के आगे तक एवं सलग्नक गलियों में	11.722



458/2

दूरभाष- 2286709
2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-228001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम/द्वितीय किस्त की धनराशि का प्रेषण
				इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	
9	बस्ती	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० बस्ती	वार्ड नं० 11 में मो० रौतापार में मनोज के घर से आगे नगर पालिका सीमा तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	22.816
10	बस्ती	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० बस्ती	वार्ड नं० 2 में मो० नरहरिया में कल्पनाथ सोनकर के घर से मेवा के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	11.264
11	बस्ती	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० बस्ती	वार्ड नं० 2 में मो० नरहरिया में शाकिर के घर होते हुए हरिजन बस्ती होते हुए बंगाली के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	15.467
12	बस्ती	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० बस्ती	वार्ड नं० 2 मो० नरहरिया में मिश्रा जी के मकान से जवाहिर एवं झिनकान के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	7.002
13	बस्ती	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० बस्ती	मो० महरीखावां मे रमेश के घर से डा० गोपाल के घर होते हुए राम केवल के घर के आगे तक एवं संलग्नक गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	12.972
14	बस्ती	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० बस्ती	मो० महरीखावां में इण्टरलाकिंग कार्य मार्ग से राम अचल के घर हटने हुए अरुणेश पाल के बाउन्ड्रीवाल एवं अन्य मार्ग तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	6.228
15	बस्ती	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० बस्ती	मो० महरीखावां में शैलेन्द्र सिंह के मकान के बगल से रमेश के घर एवं अन्य के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	4.924
16	बस्ती	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० बस्ती	मो० गड़गोड़िया में बस्ती गोरखपुर मार्ग से सलीम इलेक्ट्रानिक से राजाराम रामउजागिर पाण्डेय के घर होते हुए दीवान चन्द्र के घर तक एवं संलग्न गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	70.206
17	बस्ती	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० बस्ती	वार्ड नं०-06 के मो० रहमतगंज में कब्रिस्तान बाउन्ड्री के बगल से मस्जिद तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	16.846
18	बस्ती	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० बस्ती	वार्ड नं०-19 मो० मित्तलतनगर में रईस अहमद के घर से समीर अहमद, अब्दुल्ला व अन्य के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	14.449
19	बस्ती	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० बस्ती	वार्ड नं०-19 मो० बेलवाडाड़ी में जनार्दन के मकान से इण्टरलाकिंग सड़क तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	17.469



458/3

दूरभाष- 2286709
2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम/द्वितीय किस्त की धनराशि का प्रेषण
20	बस्ती	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 बस्ती	वार्ड नं0-19 मो0 बेलवाडाड़ी में जयराम के घर से प्रहलाद, जनार्दन व अन्य के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	14.449
21	बस्ती	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 बस्ती	वार्ड नं0-19 मो0 बेलवाडाड़ी में राजू स्वीपर के घर से वसीम व अन्य के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	17.545
22	बस्ती	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 बस्ती	वार्ड नं0-19 मो0 बेलवाडाड़ी में अर्जुन प्रसाद शुक्ल के मकान से संजय कुमार श्रीवास्तव, दीपक शर्मा व अन्य गलियों में अन्य के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	35.339
23	बस्ती	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 बस्ती	वार्ड नं0-19 मो0 बेलवाडाड़ी में शलाहुद्दीन के घर से विनोद रामदुलारे व अन्य के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	14.636
	योग				308.441

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।



458/4


दूरभाष- 2286709
2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजना के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम/द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त परियोजनाओं में सेन्टेज के अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि अभिकरण पर नहीं रोकी गयी है।


भवदीय,


(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।।
3. अधि० अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।


(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक